संख्या- 21/2020/1222 /78-2-2020-158आई.टी./2017 टीसी 4

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार ,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर , 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-2679 दिनांक 27-10-2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी वेबसाट का भारत सरकार में सर्ट-इन के अन्तर्गत इम्पैनल्ड संस्था से प्रत्येक वर्ष सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण कराये जाने हेतु होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2,69000/- (रूपये दो लाख उनहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन-निदेशक, उद्योग के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के आहरण तथा विवरण का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक,उत्तर प्रदेश, कानपुर के यहाँ भी रखेंगे।
2. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. उक्त धनराशि के व्यय वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए धनराशि व्यय की जायेगी, यदि स्वीकृत धनराशि में कोई बचत होती है तो उसे शासन को अवगत कराते हुए कोषागार में जमा किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2 को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. उक्त धनराशि किसी भी स्थिति में एक मुश्त आहरित कर यूपीडेस्को को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी अपितु दो माह की आवश्यकता के अनुरूप धनराशि यूपीडेस्को को दी जायेगी एवं नियमानुसार व्यय होने के उपरान्त तथा उपयोगिता- प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आगामी दो माहों हेतु निर्गत की जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-3-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 व 18-05-2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/ नियमों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-007 के लेखा-शीर्षक "2852"-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-29-वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण-16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-3-2020 एवं शासनादेश सं0-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर 2020 द्वारा प्राविधानित अधिकारो के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव

संख्या-- 21/2020/1222 (1)/78-2-2020 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य, कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट,लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि0/यू0पी0एल0सी0,लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- राज्य समन्वयक, उ0प्र0 सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, यूपीडेस्को, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (बजट) अनुभाग-2 ।
8- औद्योगिक विकास अनुभाग-2 / सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-3 /नियोजन अनुभाग-4/आईटी अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।